

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित अभिगम्यता समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

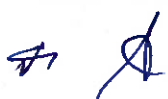
दिनांक 30.06.2025

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश सं0-5/2024 दिनांकित 09.01.2024 के अनुक्रम में, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्रांक सं0-3551/V-CPC/eCourts/Allahabad दिनांकित 05.01.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एक अभिगम्यता समिति का गठन किया गया है, जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के प्रशासनिक आदेश सं0-91/2025, दिनांक 15 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में आंशिक संशोधन करते हुए समिति का पुनर्गठन करते हुए मुझ अद्योहस्ताक्षरी मृदुल दुबे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-05, आगरा को अध्यक्ष तथा श्री कन्हैया जी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं0-08, आगरा को सदस्य एवं उपरोक्त के अतिरिक्त श्री संजीव सहाय सक्सेना, अधिवक्ता मोबाईल नं0 9760549006, श्री नवनीत कुमार शर्मा न्यायालय प्रबन्धक एवं श्री अजीत शुक्ला, सिस्टम सहायक को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

आज दिनांक 30.06.2025 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा गठित की गयी कमेटी की बैठक मेरे विश्राम कक्ष में आहूत की गयी। जिसमें मेरे अतिरिक्त श्री कन्हैया अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं0-8, आगरा, श्री संजीव सहाय अधिवक्ता, श्री नवनीत कुमार शर्मा न्यायालय प्रबन्धक एवं श्री अजीत शुक्ला, सिस्टम सहायक उपस्थित आये।

अभिगम्यता कमेटी द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा प्राप्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुक्रम में ई-कमेटी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी Standard Operating Procedure for Preparing Accessible Court Documents का गहनता से अवलोकन किया गया। उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त मानक संचालन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनपद न्यायालयों में Differently Abled Advocates किस प्रकार से अपने दावे या वाद ई-फाइलिंग के जरिये दर्ज करा सकते हैं तथा न्यायालय में लम्बित दस्तावेजों को कैसे डिजिटली प्राप्त कर सकते हैं। अभिगम्यता कमेटी की पूर्व आयोजित बैठक दिनांक 31.05.2025 के मानक संचालन प्रक्रिया के मुख्य दिशा निर्देश अंकित किये गये थे, जिसको कि पुनः एक बार निम्न प्रकार से अंकित किया जा रहा है:-

1. जनपद न्यायालय में कार्यरत Differently Abled Advocates की सूची तैयार करायी जाये।
2. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 09.01.2024 के अनुपालन में गठित अभिगम्यता समिति का ई-मेल एड्रेस जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। कम्प्यूटर अनुभाग उक्त के सम्बन्ध में कमेटी का ई-मेल बनाकर जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
3. अभिगम्यता समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण के दूरभाष संख्या को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाये। कम्प्यूटर अनुभाग उक्त के सम्बन्ध में समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यगण का दूरभाष संख्या जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।

4. उपरोक्त गठित समिति के बाबत प्रचुर मात्रा में प्रचार व प्रसार सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित हो।
5. मानक संचालन प्रक्रिया के तहत दिये गये प्रावधान में **Differently Abled Advocates** अपनी बात कमेटी के समक्ष दिये गये प्रावधान के तहत रख सकते हैं।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया को जनपद आगरा के समस्त बार एसोसिएशन को अवलोकनार्थ प्रेषित किया जाये, जिससे **Differently Abled Advocates** उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया का लाभ प्राप्त कर सकें।

इस प्रकार कम्प्यूटर अनुभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार समिती के अध्यक्ष व सदस्यगण की दूरभाष संख्या एवं उनके नाम जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिये गये हैं। आज तक किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव **Differently Abled Advocates** के द्वारा इस कमेटी के समक्ष न तो ई-मेल के माध्यम से और न ही कोई व्यक्तिगत रूप से कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर रखा गया है। कम्प्यूटर अनुभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिगम्यता कमेटी का ई-मेल एड्रेस भी जो कि **dcagraefiling@gmail.com** है, जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया गया है।

उपरोक्त बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया के तहत उपरोक्त दिये गये बिन्दुओं को अवलोकनार्थ माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष अविलम्ब प्रेषित किया जाये।

दिनांक 30.06.2025

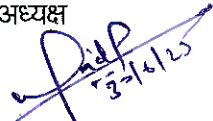
सदस्य


(श्री: संजीव सहाय)
अधिवक्ता

सदस्य


(श्री: कन्हैया जी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं०-०८, आगरा।

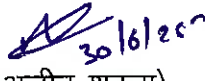
अध्यक्ष


(श्री मृदुल दुबे,)
अपर जिला जज
न्यायालय सं०-०५, आगरा।

सदस्य


(श्री नवनीत कुमार शर्मा)
न्यायालय प्रबन्धक
जनपद न्यायालय, आगरा।

सदस्य


(श्री अजीत शुक्ला)
सिस्टम सहायक
जनपद न्यायालय, आगरा।


30.7.25